

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

क्रमांक: एफ.1(4)(1)नपा/रानिआ/2014/2184

दिनांक:- 26.02.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(कलक्टर) (नगरपालिका) राजस्थान।

**विषय :- नगरपालिका आम चुनाव 2026 -इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में।**

महोदय,

आयोग द्वारा नगरपालिका आम चुनाव 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में अपने पत्र क्रमांक 4226 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। अतः आयोग द्वारा पूर्व में भेजे गये संदर्भित पत्र के स्थान पर उक्त निर्देशों को अधिकृत करते हुये नगरपालिका आम चुनाव 2026 -इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। अतः निम्नानुसार निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराये जायेंगे। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31क के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वह डिजाईन होगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित की जाये। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक एफ 1(2)(1)/नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/578 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित की गयी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिजाईन मत डाले जाने और रिकार्ड किये जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया हुआ है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में नगरपालिका के आगामी सभी निर्वाचनों में मतदान के लिए वोटिंग मशीनों के उपयोग में लाने हेतु आयोग द्वारा स्थाई आदेश क्रमांक 635 दिनांक 19.01.2026 (सां. आ. 149/2026) पूर्व में ही जारी किया हुआ है। नगरपालिका चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग संबंधी विभिन्न गतिविधियों, व्यवस्थाओं, मशीनों की जांच, मतदान हेतु तैयारी, उनके रख रखाव आदि के संबंध में की जाने वाली तैयारियों को आगे के पैराओं में वर्णित किया गया है। अतः निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

## (1) मशीनों की उपलब्धता:-

नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय की हुई ECIL द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV), मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित व पोस्ट अपग्रेडेड-2006 MK-V मॉडल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) उपयोग में ली जावेंगी। जिलेवार मशीनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये आयोग द्वारा ई.वी.एम का आवंटन तत्समय कर दिया जावेगा।

## (2) मशीनों की आवश्यकता का ऑकलन:-

मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) मशीन से चुनाव करवाने के लिए (NOTA सहित 15 उम्मीदवारों तक) एक कंट्रोल यूनिट एवं एक बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। किन्तु यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या NOTA सहित 15 से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैलेट यूनिटों की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि एक ही पद (सदस्य) का चुनाव करवाने के लिए अन्य ई.वी.एम की भांति MPSV एवं MPMV मशीनें भी सिंगल पोस्ट सिंगल वोट मशीनों की तरह ही उपयोग में आयेगी।

जबकि अन्य मॉडल MK-V/M3A मशीन से चुनाव करवाने के लिए (NOTA सहित 16 उम्मीदवारों तक) एक कंट्रोल यूनिट एवं एक बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। किन्तु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या NOTA सहित 16 से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैलेट यूनिटों की आवश्यकता होगी।

नगरीय निकाय चुनाव में मशीनों की संख्या का आंकलन एवं आरक्षित मशीनों की संख्या को ध्यान में रखकर मशीन आवंटन का कार्य तत्समय कर दिया जावेगा।

**(3) वोटिंग मशीनों का सुरक्षित भण्डारण :-**

वोटिंग मशीनों के भण्डारण के लिए निम्नांकित निर्देशों की पालना की जावे।

- (i) जहां तक संभव हो वोटिंग मशीनें कोषालय में रखी जाये। यदि कोषालय में भण्डारण संभव नहीं हो तो जिला स्तर पर निर्धारित स्ट्रॉंग रूम में वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जायें। जहां वोटिंग मशीनें रखी जाये, वहां पर वोटिंग मशीनों के अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं हो।
- (ii) आम तौर पर इन वोटिंग मशीनों को जिला मुख्यालय पर ही रखा जावे और किन्ही परिस्थितियों में यदि जिला मुख्यालय पर इनका भण्डारण संभव नहीं हो पाता है तो अन्य स्थान पर भण्डारण के लिये आयोग से पूर्व अनुमति ली जावे।
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल में एक से अधिक प्रवेश बिन्दु नहीं हो। यदि एक से अधिक दरवाजे या खिडकियां हैं तो उन्हें कंक्रीट/पक्की चुनाई से बन्द कर दिया जावे।
- (iv) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल के प्रवेश द्वार को डबल लॉक प्रणाली से सुरक्षित किया जावे, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित दो पृथक अधिकारियों के द्वारा चाबियाँ संधारित की जावे। इन दोनों अधिकारियों में से एक अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्तर से कम नहीं होगा।
- (v) जिस कक्ष/हॉल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जावे वह बाढ़/पानी के रिसाव/दरार/लीकेज/टूटी खिडकियां आदि से पूर्ण रूप से मुक्त हो। भण्डारण कक्ष में किसी प्रकार की नमी/कीट/मूषक आदि नहीं होने चाहिये। अग्नि शमन के समुचित प्रबंध उपलब्ध रहने चाहिये। मशीनें पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से रखी जावे।
- (vi) भण्डारण कक्ष पर पुलिस/सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी रखें।
- (vii) मशीनों के भण्डारण कक्ष (Warehouse) को खोलने/बन्द करने की प्रक्रिया, मशीनों को लाने-ले जाने, भौतिक सत्यापन करने एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को इसकी सूचना और उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण अंकित करने के लिए एक लॉग बुक संधारित की जायें जो प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से अधिकृत अधिकारी के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

**(4) चुनाव में उपयोग में आने वाली EVM का रजिस्टर एवं सॉफ्टवेयर में संधारण:-**

- (i) उपलब्ध सभी वोटिंग मशीनों का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया जावे। इसमें प्रत्येक कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट एवं यदि MPSV एवं MPMV मॉडल की मशीन है तो क्रमशः SDMM तथा DMM का भी इन्द्राज किया जायेगा जिसमें उस कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों का तिथिवार अंकन किया जायेगा अर्थात् नगरपालिका चुनाव के लिए मशीन प्राप्त होने से लेकर चुनाव पश्चात् मतगणना की समाप्ति उपरांत MPSV एवं MPMV मॉडल की मशीनों की क्रमशः SDMM एवं DMM की सीलिंग की कार्यवाही कर मशीनों से पृथक कर लिया जायेगा एवं BEL की मशीनों का उपयोग होने की स्थिति में निर्वाचन याचिका के निस्तारण/मियाद समाप्त होने के पश्चात् मशीन को क्लीयर कर भण्डारण कक्ष में वापस जमा होने तक प्रत्येक गतिविधि का अंकन किया जायेगा।
- (ii) रजिस्टर में इन्द्राज करते समय कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, SDMM एवं DMM का यूनीक नम्बर दर्ज किया जावे। रजिस्टर में बाद की कार्यवाहियों के इन्द्राज यथा FLC चैकिंग तिथि, चैकिंग के बाद सुरक्षित स्टोर में रखने की तिथि, आवंटन का प्रकार यानि प्रशिक्षण हेतु आवंटन अथवा मतदान के उपयोग हेतु आवंटन, किस अधिकारी को, किस नगरीय निकाय के लिए आवंटन किया गया, मशीन खराब है, अथवा चालू स्थिति में है, मतदान की तिथि, मतदान के उपयोग में आई है तो किस निर्वाचन में अथवा आरक्षित रही है आदि का अंकन इस रजिस्टर में किया जाये।
- (iii) ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में मशीनों का इन्द्राज करना:- आम चुनावों में उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों से संबंधित समस्त सूचना जैसे कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, SDMM एवं

DMM के यूनीक नम्बर जिले में उपलब्ध मशीन, मॉडल, संख्या, अधिकारी आदि की जानकारी जो स्थाई स्टॉक पंजिका में संग्रहित की जाती है उसकी समस्त सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में भी इन्द्राज की जावे। इसके लिए वेबसाइट [esuchi.rajasthan.gov.in](http://esuchi.rajasthan.gov.in) पर जिलों को दिये गये login-id एवं password के द्वारा उक्त सूचना अंकित करनी होगी। इस सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का प्रशिक्षण जिले के उपखण्ड अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर (MT) को दिया जा चुका है। इसी सॉफ्टवेयर के जरिये प्रशिक्षण में काम आने वाली, चुनाव के उपयोग आने वाली ई.वी.एम. का नगरीय निकाय वार, वार्डवार (भाग के अनुसार) रेन्डमाइजेशन का कार्य भी सम्पन्न किया जायेगा।

**(5) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking) :-**

- (i) F.L.C. का कार्य जिला स्तर पर करवाया जावे।
- (ii) मशीनों की चैकिंग आप अपने विज्ञ स्टॉफ जो कि, पिछले लोकसभा/विधानसभा चुनावों में इस कार्य में EVM ट्रेनर के रूप में कार्य कर चुका है और जिन्होंने EVM प्रशिक्षण का भी अनुभव है, उनका उपयोग इस प्रथम स्तरीय जांच के कार्य में लेवे। निर्माता फर्म ECIL/BEL के तकनीशियनों या इंजिनियरों की देखरेख में मशीन की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) करवाई जाएगी।
- (iii) मशीनों की चैकिंग के कार्य के लिए जिला स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जावे। यह अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के स्तर से कम का नहीं होगा। F.L.C. की पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जायेगी (विडियोग्राफी के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग के आदेश क्रमांक प. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/187 दिनांक 06.01.2026 के द्वारा जारी किये जा चुके हैं।) उक्त वीडियो की सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी। इसके अतिरिक्त F.L.C. हॉल में सीसीटीवी कैमरा भी इस प्रकार लगाए जाएंगे कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से F.L.C. की प्रक्रिया देख सके। मशीनों की चैकिंग जिला मुख्यालय पर उक्त प्रभारी अधिकारी की निगरानी में ही करवाई जावे। F.L.C. के संबंध में इंजीनियरों की उपलब्धता एवं समय सारणी के संबंध में तत्समय सूचित कर दिया जायेगा।
- (iv) मशीनों की F.L.C. जिला मुख्यालय पर ही करवाई जावे। सामान्यतः लगभग 100 मशीनें (बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट) की F.L.C. प्रतिदिन एक इंजिनियर द्वारा की जा सकती हैं। F.L.C. के दौरान उपस्थित रहने के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी बुलाया जायेगा। अतः ECIL / BEL के इंजिनियर्स का कार्यक्रम निश्चित होने पर F.L.C. के कार्यक्रम व स्थान की सूचना आपके द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को लिखित में दी जानी है। यह सूचना F.L.C. प्रारम्भ होने के कम से कम 3 दिन पूर्व देनी चाहिए।
- (v) F.L.C. के दौरान सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा अधिकृत किए हुए प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे और इन्हें ही आने की अनुमति दी जा सकेगी। इन अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) एक पृथक रजिस्टर (Anx-3) में लिए जायेंगे।
- (vi) मशीनों की F.L.C. के लिए जिला मुख्यालय पर एक बड़े हॉल का चयन करें। हॉल का आकार इतना बड़ा हो कि जिन मशीनों की F.L.C. होनी है उन्हें उस हॉल में चैकिंग से पूर्व, चैकिंग के दौरान और चैकिंग के बाद आसानी से रखा जा सके, साथ ही F.L.C. के समय ECIL / BEL के इंजिनियर्स, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारीगण तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण भी हॉल में उपस्थित रह सकें।
- (vii) F.L.C. के लिए हॉल का उपयोग करने से पूर्व उस हॉल को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह हॉल अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के किसी कम्पोंनेंट से पूर्णतया मुक्त हैं। हॉल के प्रवेश बिन्दु पर पुलिस बल तैनात कर उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए। प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाया जाए। हॉल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी प्रवेश बिन्दु पर ली जाए। केवल उसी व्यक्ति को हॉल में प्रवेश दिया जाए जो जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र प्रस्तुत करें।

- (viii) F.L.C. के समय उक्त हॉल में किसी भी व्यक्ति (अधिकारी/कर्मचारी सहित) को किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि सैलफोन, कैमरा, स्पाईपेन इत्यादि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति को F.L.C. हॉल के बाहर कोई वस्तु ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी।
- (ix) इंजिनियर्स की दक्षता, उनकी योग्यता और ईमानदारी के लिए निर्माता फर्म ECIL/BEL पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगी। F.L.C. हॉल में केवल अधिकृत इंजिनियर्स/तकनीकी स्टॉफ को प्रवेश दिया जायेगा। हॉल में प्रवेश के समय वे अपनी पहचान फोटोयुक्त दस्तावेज के आधार पर स्थापित कर सकेंगे। अन्य किसी इंजिनियर या तकनीकी स्टॉफ को हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (x) F.L.C. के दौरान कंट्रोल यूनिटों/बैलेट यूनिटों पर से एट्रेस टैग, मतपत्र हटाना, उन पर लिखावट आदि साफ करना, डेटा क्लीयर करना, कंट्रोल यूनिट/बैलेट यूनिट के कैरिंग बक्सों, कनेक्टिंग केबल आदि को देखना कि कहीं से क्रेक तो नहीं है आदि कार्यों के साथ यह भी देखा जायेगा कि मशीनें पूर्णतः चालू हैं। सभी बटनों को चैक किया जायेगा। निर्माता कम्पनी के अधिकृत इंजिनियर ई.वी.एम की जांच कर यह प्रमाणित करेंगे कि ई.वी.एम. के सभी कम्पोनेन्ट मौलिक (Original) है यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (Anx-4) में होगा। यदि कोई मशीन खराब है तो उसे अलग रखा जायेगा। फील्ड में मशीन की मरम्मत नहीं होगी। फील्ड में मशीन के प्लास्टिक केबिनेट को खोलने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। मशीनों का कोई भाग फील्ड में नहीं बदला जाये, यह पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। निर्माता कम्पनी (ECIL/BEL) के अधिकृत इंजिनियर कौनसे उपकरण रखेंगे इसकी एक निर्धारित सूची है इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण इनके द्वारा हॉल में नहीं ले जाया जा सकेगा।
- (xi) मशीनों की चैकिंग में यह विशेष ध्यान रखा जावे कि, मशीन के सभी प्रकार के बटन चालू हालत में हों। सभी बटनों अर्थात् बैलेट यूनिट के सभी अभ्यर्थियों के बटन, ऑन-ऑफ स्विच, कंडीडेट सैट बटन, बैलेट बटन, क्लोज बटन, टोटल बटन, रिजल्ट बटन, क्लीयर बटन, डिस्पले पैनेल, प्रत्येक बटन के साथ बीप की आवाज, रियल टाइम क्लॉक एवं बैटरी पैक को चैक किया जावे।
- (xii) चैकिंग के दौरान प्रत्येक मशीन से प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डमी वोट डालकर भी मशीन को चैक किया जावे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मशीन चुनाव के लिए उपयुक्त एवं पूर्णतः चालू हालत में हैं।
- (xiii) FLC के दौरान किये गये मॉक पोल को Anx-5 के प्रारूप में रजिस्टर में संधारित किया जायें। साथ ही किये गये मॉक पोल के परिणाम को Anx-6 के प्रारूप में रजिस्टर में संधारित किया जायें। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उक्त प्रारूप के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) करने हेतु कहा जायेगा।
- (xiv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि F.L.C. के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को खोला नहीं गया है कंट्रोल यूनिट को नासिक सिक्यूरिटी प्रेस द्वारा मुद्रित स्पेशल "Pink Paper Seal" से सील किया जायेगा और यह सीलिंग की कार्यवाही राजनैतिक दलों के F.L.C. के समय उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। उक्त "Pink Paper Seal" कंट्रोल यूनिट के कंडीडेट सैट सैक्शन तथा रिजल्ट सैक्शन के मध्य वाले हिस्से में लगाई जाएगी। उक्त "Pink Paper Seal" लगाने के बाद ECIL/BEL के इंजिनियर्स द्वारा सील के उपर अपने

हस्ताक्षर किए जाएंगे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उक्त सील पर अपने हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) करने हेतु कहा जायेगा और वे अपने हस्ताक्षर करने के साथ हस्ताक्षरों के नीचे संक्षिप्त में अपने दल का नाम भी सील पर अंकित कर सकेंगे।

- (xv) कंट्रोल यूनिट पर F.L.C. के समय लगायी जाने वाली "Pink Paper Seal" का क्रमांक नोट करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अनुमति दी जायेगी। इसके अतिरिक्त एक रजिस्टर भी संधारित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक कंट्रोल यूनिट का यूनिक आई. डी. नम्बर दर्शाते हुए यह स्पष्ट अंकन किया जायेगा कि उस कंट्रोल यूनिट पर कौनसे क्रमांक की "Pink Paper Seal" लगाई गई है। इस रजिस्टर में भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) लिए जाएंगे। इस रजिस्टर की फोटो प्रतियां निशुल्क प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधी को F.L.C. समाप्त होते ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात् चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी उक्त रजिस्टर की फोटोप्रति निशुल्क दी जायेगी और इनकी रसीद भी रजिस्टर पर प्राप्त की जायेगी। (Anx-7)
- (xvi) उपरोक्त वर्णित विशेष "Pink Paper Seal" जो कि नासिक सिक्क्यूरिटी प्रैस से मुद्रित हैं राज्य निर्वाचन आयोग के भण्डार से पूर्व में ही आपको उपलब्ध करवा दी गई है।
- (xvii) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के पीछे एक पीले रंग का आयताकार स्टीकर चिपकाया जायेगा जिसमें जिले का नाम, FLC की तिथि, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं SDMM/DMM (यदि MPSV/MPMV मशीन है) के यूनीक नंबर दर्ज किये जावें और प्रभारी अधिकारी (चैकिंग) ECIL / BEL के तकनीशियनों या इंजिनियरों द्वारा उक्त स्टीकर पर चैकिंग के तुरन्त बाद स्टिकर में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर मय तिथि के किये जावें (Anx-1)।
- (xviii) चैकिंग के तुरन्त बाद नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट के पीछे लगाये जाने वाले पीले रंग के आयताकार स्टीकर (Anx-1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराए गये हैं। ये स्टीकर आपको FLC से पूर्व संबंधित सामग्री के साथ तत्समय आवंटित कर दिये जावेगे।
- (xix) आयोग द्वारा ईवीएम मशीनें आवंटित करने के पश्चात अपेक्षित मात्रा में मशीनें प्राप्त कर मशीनों की First Level Checking का कार्य तत्समस पूर्ण कर लिया जावे।
- (xx) मशीनों की F.L.C. करने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिवस को FLC हॉल को बन्द करने और अगले दिवस पुनः खोलने की प्रक्रिया एवं जाँच व प्रमाण पत्र प्राप्त मशीनों को तुरन्त ही एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। चैक की हुई ऐसी मशीनों एवं FLC हॉल को डबल लॉक में रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे। उक्त सीलबन्द सुरक्षित कक्ष में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करें।

**(6) प्रशिक्षण हेतु वोटिंग मशीनों की छंटनी एवं मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का नगरपालिकावार रिटर्निंग अधिकारियों को आवंटन :-**

- (i) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के यूनिक नंबर का डेटा बेस जिला स्तर पर तैयार किया जावे। चैक की हुई ऐसी सभी नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों के डेटा बेस से ई. वी.एम. ट्रेकिंग साफ्टवेयर के जरिये रेन्डम आधार पर जिले में सभी नगर पालिकाओं के चुनाव में कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मात्रा में नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट की छंटनी कर

उन्हे पृथक कर लिया जावे। मतदान केन्द्रों की संख्या की 5 प्रतिशत मात्रा में मशीनें प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त हैं।

- (ii) प्रशिक्षण हेतु छंटनी कर अलग की गई मशीनों का उपयोग मतदान में नहीं किया जावे। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए अलग की हुई मशीनों के ऊपर एक गुलाबी रंग का गोल स्टीकर (Anx-2) चिपकाया जावे। यह स्टीकर आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सामग्री में प्राप्त हो चुके हैं।
- (iii) प्रशिक्षण के लिए छंटनी कर पृथक की गई मशीनों को नगरपालिका वार आवंटित किया जायेगा और गुलाबी रंग के स्टीकर जो मशीन के अग्र भाग पर लगाया जाना है, उस पर मशीन का यूनिक नंबर अंकित किया जायेगा, तथा प्रमाणन स्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (iv) नगरपालिका वार प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीनों की एक सूची मशीनों के यूनिक नंबर सहित तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित भी की जायेगी, तथा राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को वही मौके पर भी उपलब्ध करवा दी जायेगी।
- (v) उक्त प्रकार से प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीने प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को उसी दिन सुपुर्द कर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जावें।
- (vi) प्रशिक्षण का कार्य नगरपालिका स्तर पर किया जावे।

**(7) मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का नगरपालिका वार आवंटन:-**

- (i) प्रशिक्षण हेतु मशीनों को पृथक किये जाने एवं उन्हें प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारियों को दिये जाने के उपरान्त शेष मशीनें मतदान के उपयोग हेतु ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा रेण्डम आधार पर नगरपालिकावार आवंटित की जायेगी तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को सुपुर्द की जायेगी। यह आवंटन की कार्यवाही F.L.C. के अन्तिम दिन की जावेगी। नगरपालिकावार मशीनों के आवंटन के समय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी लिखित में आमंत्रित किया जाये ताकि वे भी कार्यवाही देख सकें और इस कार्यवाही का विवरण तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर रिकार्ड में रखा जावें। अतः F.L.C. के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचना भेजे जाते समय ही इस आशय का उल्लेख भी कर दिया जावे।
- (ii) प्रत्येक नगरपालिका के लिए आवंटित नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों की एक सूची यूनिक नंबर दर्शाते हुए तैयार की जायेगी जो जिला निर्वाचन अधिकारी के मनोनीत अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। इस सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी एक प्रति सुपुर्द कर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगे।
- (iii) नगरपालिका हेतु मशीनों के आवंटन के बाद नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट के पीछे के भाग पर लगे पीले स्टीकर पर नगरपालिका का नाम अंकित कर जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर किये जायें।

**(8) प्रथम स्तरीय जांच एवं नगरपालिकावार आवंटन के बाद मशीनों का भण्डारण:-**

- (i) जांच व प्रमाण पत्र प्राप्त नगरपालिका को आवंटित मशीनों को तुरन्त ही जिला स्तर पर एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे।
- (ii) किसी भी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी को मशीनों की चैकिंग, भण्डारण, आवंटन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। इसलिए मशीनों की चैकिंग के बाद

- भण्डारण, आवंटन, वितरण आदि गतिविधियों में भी पारदर्शिता रहनी चाहिये और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को होनी चाहिए।
- (iii) जॉच व प्रमाण पत्र प्राप्त नगरपालिका को आवंटित मशीनों को तुरन्त ही एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। चैक की हुई ऐसी मशीनों को डबल लॉक में रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधी भी चाहें तो हस्ताक्षर अथवा सील लगा सकेंगे। यदि कोई राजनैतिक दल इस लॉगबुक की फोटो प्रति चाहे तो प्रदान की जावें।
- (iv) इस आदेश के बिन्दु संख्या 3 वोटिंग मशीनों के सुरक्षित भण्डारण के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
- (v) जब भी उक्त स्ट्रॉंग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना राजनैतिक दलों को दी जाये।
- (vi) ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा रेण्डम आधार पर नगरपालिका वार रिटर्निंग अधिकारियों को आवंटित मशीनें यथाशीघ्र जिला स्तर से नगरपालिका स्तर पर ले जा कर मशीनों का भण्डारण किया जावें।

**(9) मतदान में उपयोग हेतु वार्डवार आवंटन एवं वोटिंग मशीनों की तैयारी (Commissioning of EVM)**

- (i) मतदान के उपयोग हेतु नगरपालिकावार आवंटित मशीनों में से ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के जरिये रेण्डम आधार पर वार्डवार आवंटित की जायेगी। यह आवंटन की कार्यवाही मशीनों के मतदान की तैयारी (Commissioning of EVMs) के ठीक तीन दिन पूर्व कर लेनी चाहियें। वार्ड वार मशीनों के आवंटन के समय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी लिखित में आमंत्रित किया जाये ताकि वे भी कार्यवाही देख सकें और इस कार्यवाही का विवरण तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर रिकार्ड में रखें जायें। ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के जरिये रेण्डम आधार पर वार्डवार आवंटन का कार्य जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के द्वारा सम्पन्न कराया जावें।
- (ii) मतदान हेतु मशीनों की तैयारी का कार्य BEL/ECIL के अधिकृत इंजीनियरों के द्वारा किया जायेगा और यह कार्य नगरपालिका स्तर पर कराया जायेगा।
- (iii) नगरपालिका चुनावों में प्रत्येक वार्ड एक निर्वाचन क्षेत्र है, सामान्यतः अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन होता है। तत्पश्चात् ही मतपत्रों का मुद्रण संभव हो पाता है। चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि एवं मतदान की तिथि के मध्य अन्तराल भी कुछ ही दिनों का होता है ऐसी स्थिति में बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्रों का मुद्रण दो या तीन दिन के भीतर ही करा लेना आवश्यक है। इन मतपत्रों के मुद्रण के बाद ही वोटिंग मशीनों की तैयारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कराया जाना संभव है। अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मतदान के कम से कम तीन दिन पूर्व की तिथि वोटिंग मशीनों की तैयारी के लिए निश्चित करके रखी जावे।
- (iv) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीनों की तैयारी करने की तिथि, समय, एवं स्थान के बारे में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से पूर्व में ही लिखित नोटिस के द्वारा अवगत करा दिया जावे और उन्हें स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को उक्त समय, स्थान व तिथि पर उपस्थित होने के लिए लिखा जावे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक को भी उक्त कार्यक्रम से अवगत कराया जावे ताकि वे भी मशीनों की तैयारी की प्रक्रिया को देख सकें। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर एक निर्धारित रजिस्टर में लिए जाये। (Anx-8)
- (v) बैलेट यूनिट में लगाये जाने वाले मतपत्र के पीछे रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर सील भी लगायेंगे। नियंत्रण यूनिट में नई बैटरी लगाने, कण्डीडेट सैट करने, कण्डीडेट सैट खण्ड को सील करने आदि की कार्यवाही स्टेप-बाई-स्टेप रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया से की जाये जैसा

- कि EVM की अनुदेश निर्देशिका (Instructions Guide) में बताया गया है। तैयार करते ही बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के कण्डीडेट सैट खण्ड को रिटर्निंग अधिकारी टैग के साथ सील एवं हस्ताक्षर करेंगे और उपस्थित अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों से भी अपने हस्ताक्षर करने हेतु कहेंगे।
- (vi) यदि MPSV/MPMV मॉडल की मशीन का उपयोग किया जा रहा है एवं अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 15 तक हैं तो बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 1 स्थिति पर सेट करेंगे। नोटा सहित 15 से अधिक अभ्यर्थी होने पर तदनुसार द्वितीय बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 2 और इसी प्रकार तीसरी बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 3 एवं चतुर्थ बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 4 पर सेट करेंगे।
- (vii) यदि MK-V/M3A मॉडल की मशीन का उपयोग किया जा रहा है एवं अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक हैं तो बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 1 स्थिति पर सेट करेंगे। नोटा सहित 16 से अधिक अभ्यर्थी होने पर तदनुसार द्वितीय बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 2 और इसी प्रकार तीसरी बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 3 एवं चतुर्थ बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 4 पर सेट करेंगे।
- (viii) मतपत्र बैलेट यूनिट में लगाते समय ध्यान रखें कि मतपत्र में अभ्यर्थियों के पैनल की लाईनों का एलाइनमेंट बैलेट यूनिट में अभ्यर्थी के लिए निर्धारित स्थान की सीध में हो।
- (ix) वार्ड में मतदान के उपयोग हेतु तैयार की गई मशीनों की सूची उनके यूनीक नंबर व आवंटित मतदान केन्द्र दर्शाते हुए अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को तत्समय ही देकर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जाये। एक वार्ड के लिए उपरोक्त कार्यवाही करने के पश्चात अन्य वार्डों के लिए मशीनों की तैयारी एक-एक करके वार्ड वार की जाये।
- (x) कुछ नगरपालिकाओं के कुछ वार्डों में कम मतदान केन्द्र भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में वार्ड के लिए मशीने आरक्षित रखने की व्यवस्था मशीनों की उपलब्धता व परिस्थितियों के अनुसार की जायें।
- (xi) इस आदेश के बिन्दु संख्या 5-मशीनों की प्रथम स्तरीय जॉच के उपबिन्दु संख्या (v) से (viii) में वर्णित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- (xii) मतदान मशीनों की तैयारी के समय दिखावटी मतदान (Mockpoll) में 5 प्रतिशत मशीनों में प्रत्येक मशीन पर 50 मत दिये जायेंगे एवं शेष मशीनों में अभ्यर्थियों की संतुष्टी के लिए एवं समय की उपलब्धता के अनुसार दिखावटी मतदान (Mockpoll) से मत दिये जा सकेंगे। दिखावटी मतदान (Mockpoll) के दौरान अभ्यर्थी स्वयं भी मत दे सकेंगे।
- (xiii) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष दिखावटी मतदान (Mockpoll) किए जाने के संबंध में अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर रजिस्टर में प्राप्त किए जावें। (Anx-9)
- (xiv) दिखावटी मतदान (Mockpoll) के पश्चात् मशीनों पर परिणामों का प्रिन्ट आउट दिखाए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्धारित रजिस्टर में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जावें। (Anx-10)
- (xv) यह ध्यान रखा जाए कि कंट्रोल यूनिट पर Pink Paper Seal जो FLC के समय लगायी गयी थी वह सुरक्षित रहें, तैयारी की प्रक्रिया में कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए।
- (xvi) मशीनों की तैयारी जिसमें बैलेट यूनिट में मतपत्र भी लगाया जाता है। बैलेट यूनिट को भी स्पेशल "Pink Paper Seal" से सील किया जायेगा और यह सीलिंग की कार्यवाही अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। उक्त "Pink Paper Seal" बैलेट यूनिट के सबसे निचले हिस्से पर लगायी जायेगी ताकि किसी अभ्यर्थी का नाम या चिन्ह ढक नहीं जाए। उक्त "Pink Paper Seal" पर ECIL/BEL के इंजिनियर्स द्वारा अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को भी उक्त सील पर अपने हस्ताक्षर (यदि इच्छुक हो तो) करने हेतु कहा जायेगा और वे अपने हस्ताक्षर करने के साथ हस्ताक्षरों के नीचे संक्षिप्त में अपना व अपने दल का नाम भी सील पर अंकित कर सकेंगे।

- (xvii) बैलेट यूनिट पर तैयारी के समय लगायी जाने वाली "Pink Paper Seal" का क्रमांक नोट करने के लिए अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को अनुमति दी जायेगी। इसे रजिस्टर में अंकित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक बैलेट यूनिट का यूनिक आई. डी. नम्बर दर्शाते हुए यह स्पष्ट अंकन किया जायेगा कि उस बैलेट यूनिट पर कौनसे क्रमांक की "Pink Paper Seal" लगाई गई है। इस रजिस्टर में भी अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (यदि इच्छुक हो तो) लिए जाएंगे। तैयारी पूर्ण होने पर इस रजिस्टर की फोटोप्रतियां चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क दी जायेगी और इनकी प्राप्ति रसीद भी रजिस्टर पर प्राप्त की जायेगी (Anx-11)।
- (xviii) मशीनों की तैयारी का पर्यवेक्षण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। EVM की तैयारी की पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
- (xix) कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर केवल सफेद रंग के स्टीकर/एड्रेस टैग का प्रयोग होगा।
- (xx) वार्ड सदस्य चुनाव की बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्र सफेद रंग का होगा।
- (xxi) मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीन एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मशीन के द्वारा केवल सदस्य पद का चुनाव कराये जाने के कारण आंशिक मतदान की कोई संभावना नहीं रहेगी। अतः MPSV/MPMV मशीन पर स्थित "END" बटन को मास्क करावें।
- (xxii) वार्डवार मतदान के लिये तैयारशुदा मशीनों को भण्डारण के समय मिश्रण ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जावें।

**(10) तैयार शुदा वोटिंग मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षा:-**

- (i) किसी भी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी को मशीनों की चैकिंग, भण्डारण, आवंटन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। इसलिए मशीनों की चैकिंग के बाद भण्डारण, आवंटन, वितरण आदि गतिविधियों में भी पारदर्शिता रहनी चाहिये और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को होनी चाहिए।
- (ii) जॉच व प्रमाण पत्र प्राप्त नगरपालिका एवं वार्ड को आवंटित मशीनों को तुरन्त ही एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। चैक की हुई ऐसी मशीनों को डबल लॉक में रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि भी चाहें तो हस्ताक्षर अथवा सील लगा सकेंगे। यदि कोई राजनैतिक दल इस लॉगबुक की फोटो प्रति चाहे तो प्रदान की जावें।
- (iii) इस आदेश के बिन्दु संख्या 3 वोटिंग मशीनों के सुरक्षित भण्डारण के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
- (iv) जब भी उक्त स्ट्रॉंग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना अभ्यर्थियों को दी जाये।

**(11) मतदान दलों को वोटिंग मशीनों का वितरण:-**

- (i) जहां पर उक्त तैयार शुदा वोटिंग मशीन रखी गई है वहां से मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन वितरण करने का स्थल यदि भिन्न है तो वोटिंग मशीनों के परिवहन का कार्यक्रम पर्यवेक्षक तथा अभ्यर्थियों को पूर्व में अवगत कराया जाये। वोटिंग मशीन के परिवहन में मशीनों की समुचित सुरक्षा की जाये। वितरण स्थल पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाये।
- (ii) पीठासीन अधिकारियों को जब मशीने वितरित की जाये तब पीठासीन अधिकारियों के प्राप्ति हस्ताक्षर प्राप्त किये जाये। कौनसी मशीन किस मतदान केन्द्र के लिए दी गई है इसका पर्याप्त रिकार्ड रखा जाये। मतदान दलों को मशीनें देते समय सुनिश्चित किया जाए कि मशीनों पर लगी हुयी सभी सीलें सुरक्षित हैं।
- (iii) पीठासीन अधिकारियों को यह भी बताया जाये कि उन्हे प्रदान की गई मशीन का नंबर वे चैक कर लें कि मशीन का नंबर मशीन के पीछे लगे स्टीकर और एड्रेस टैग के अंकन के अनुसार ही है।

- (iv) जहाँ किसी मतदान केन्द्र पर मतदान से पूर्व या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाये तो उसकी लिखित सूचना अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराई जाये।

**(12) वोटिंग मशीन से संबंधित रजिस्टर का संधारण:-**

- (i) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी अपने स्तर पर नगरपालिका के मतदान के उपयोग हेतु प्राप्त सभी मशीनों के विवरण के साथ एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें ये समस्त जानकारी होगी कि कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट कौनसे वार्ड के किस मतदान केन्द्र पर उपयोग में आयी है, किस चुनाव के काम आयी है या कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट बदली गई है आदि।
- (ii) मतदान के बाद प्राप्त होने वाली मशीनों का विवरण भी उक्त रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

**(13) मतदान पश्चात वोटिंग मशीन की सुरक्षित अभिरक्षा:-**

- (i) चूंकि मतगणना नगरपालिका मुख्यालय पर ही होनी है, अतः मतदान के पश्चात वोटिंग मशीन नगरपालिका मुख्यालय पर ही मतगणना स्थल पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। वोटिंग मशीन के स्ट्रॉंग रूम को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबन्द रखा जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी स्ट्रॉंग रूम के दरवाजे/खिड़कियों पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जायेगी तथा उन्हें यह अनुमति भी दी जायेगी कि वे एक पर्याप्त दूरी से स्ट्रॉंग रूम की निगरानी रख सकते हैं।
- (ii) स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरे भी स्थापित किये जायेंगे।
- (iii) स्ट्रॉंग रूम में अग्नि सुरक्षा के उपाय भी रखे जायेंगे।
- (iv) स्ट्रॉंग रूम व मतगणना परिसर में दोहरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी जायेगी।
- (v) मतगणना कक्ष में वार्ड वार एवं मतदान केन्द्र वार आवंटित नियंत्रण यूनिट की सूची मतगणना के दौरान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।
- (vi) जहाँ पर पुनर्मतदान होगा उस मतदान केन्द्र पर मूल रूप से मतदान में उपयोग में लाई गई मशीन को भी स्ट्रॉंग रूम में ही रखा जायेगा जिस पर साफ-साफ एक टैग "गणना नहीं करनी है" अंकित करते हुए उस नियंत्रण यूनिट पर लगाया जायेगा और उसे सील बन्द ही रखा जायेगा। पुनर्मतदान होने पर नई मशीन पर साफ-साफ टैग "पुनर्मतदान की वोटिंग मशीन-गणना की जानी है" अंकित करते हुए लगाया जायेगा। उपरोक्त दोनों प्रकार के टैग रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

**(14) ई. वी. एम. संबंधी तैयारी आदि घटनाओं की विडियोग्राफी:-**

पारदर्शिता के लिए यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वोटिंग मशीन की विभिन्न स्तरों पर की गई गतिविधियों यथा वोटिंग मशीन की तैयारी, वोटिंग मशीन की सीलिंग, स्ट्रॉंग रूम की सीलिंग, स्ट्रॉंग रूम को खोलने आदि प्रक्रियाओं की विडियोग्राफी भी की जाये। उक्त विडियोग्राफी का रिकार्ड समुचित रूप से संधारित रखा जावे, जो निर्वाचन रिकार्ड के रूप में संधारित होगा और अन्य रिकार्ड की भांति इसकी प्रमाणित नकल जारी की जा सकेगी।

**(15) मतगणना के पश्चात मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षा:-**

मतगणना व परिणाम की घोषणा के पश्चात् आरक्षित मशीनें जिलों के भण्डारण कक्ष (Warehouse) में बिना किसी विलंब के जमा करा दी जाए तथा जो मशीनें मतदान में उपयोग में आयी हैं वे जिला मुख्यालय पर कोषागार/नियत स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। नगर पालिका निर्वाचनों में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस निर्धारित है। निर्वाचन याचिका प्रस्तुत होने की स्थिति में निर्वाचन याचिका के निस्तारण के तीन माह की अवधि समाप्त होने तक और अपील होने की स्थिति में अपील के निस्तारण तक मशीनें सीलबन्द सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी। जिन वार्डों में कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं होती है अथवा निर्वाचन संबंधी कोई मामला न्यायालय में नहीं हो वहां परिणामों की घोषणा के 30 दिवस बाद मशीनों को क्लीयर किया

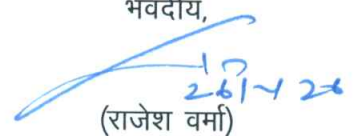
जायेगा, अर्थात् मशीनों की सील हटायी जायेगी, नियंत्रण यूनिट की सूचना हटायी जायेगी, बैट्री हटायी जायेगी और बैलेट यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को भी हटायी जायेगा। यदि मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनें एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मशीनें उपयोग में ली गई है तो SDMM/DMM को कन्ट्रोल यूनिट से हटा कर आयोग के पत्रांक 705 दिनांक 20.01.2026 पत्रांक 826 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये क्रमशः SDMM एवं DMM को सील कर लिया जावे, तथा कन्ट्रोल यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों को आगामी चुनावों में उपयोग के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को वापस कर दिया जावे। इस विषय में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित स्थाई आदेश संख्या 1600 दिनांक 11.02.2026 (सा.आ.158/2026) का अनुसरण किया जाये।

**(16) निर्वाचन विभाग की मशीनों को लौटाना :-** उक्त कार्यवाही के बाद जो मशीनें लोन पर प्राप्त की गई है उन ई.वी.एम. मशीनों को यथा स्थान वापस लौटा दिया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करे। इससे सभी रिटर्निंग अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत कराये। उक्त व्यवस्था से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराया जाये।

**(17) ई.वी.एम. मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था :-** ई.वी.एम. को निर्धारित स्थानों एवं अलग-अलग स्तर पर सुरक्षित रखने का पूर्ण उत्तर दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है अतः जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

  
(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

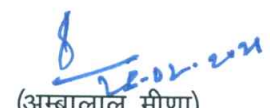
एवं सचिव

दिनांक : 26.02.2026

क्रमांक : प 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/2185-2190

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (नगरपालिका) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को संबंधित को ई-मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

  
(अम्बालाल मीणा)  
उप सचिव

# Annexure -1

(पीले रंग में)

|                                       |
|---------------------------------------|
| Name of District-                     |
| Ballot Unit No.-                      |
| First Level Check. Date-              |
| Date & Sign. of Cheking Official      |
| Name of Municipality                  |
| Name of Post -                        |
| Date & Sign. of DEO's representative- |
| Deployment Status - Ward No.....      |
| Polling Station No.-                  |
| Date & Sign. of RO/ARO                |

(पीले रंग में)

|                                          |
|------------------------------------------|
| Name of Election-                        |
| Name of District-                        |
| Control Unit No.-                        |
| SDMM NO (In case of MPSV EVM used) ..... |
| First Level Check. Date-                 |
| Date & Sign. of Cheking Official         |
| Name of Municipality                     |
| Name of Post -                           |
| Date & Sign. of DEO's representative-    |
| Deployment Status - Ward No.             |
| Polling Station No.-                     |
| Date & Sign. of RO/ARO                   |

# Annexure -2

**Municipal Elections**  
**Training**  
 Countrol Unit  
 No.....  
 Sign. of DEO's Representative

Sign. of DEO's Representative

**Municipal Elections**  
**Training**  
 Ballot Unit  
 No.....  
 Sign. of DEO's Representative

Sign. of DEO's Representative

### Annexure-3 (Register for First Level Checking of EVMs)

Name of State:  
Name of District:  
Address of hall:  
Date:

| S.No. | Name of National/State Party | Name of representative of political party with party affiliation | Photo Identity document No. with date (provided by Person) | Signature of representative | Remarks, if any. |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |

**Note:** If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Name and signature of engineers of BEL/ECIL with ID No.)  
(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

### Annexure -4 (Certification of EVMs by BEL/ECIL)

Name of State:  
Name of District:  
Address of hall:  
Date:

It is certified that tests prescribed by BEL/ECIL to ascertain that all components are original were carried out on the EVMs listed below on..... (date). On the basis of these tests it is certified that all components of the EVMs listed below are original.

| Sr. No. | CU Identification No. | SDMM No. (In case of MPSV) | BU Identification No. |
|---------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|         |                       |                            |                       |
|         |                       |                            |                       |

(Name & signature of BEL/ECIL engineers with ID No.)

### Annexure-5 (Mock Poll certification during First Level Checking of EVMs)

Name of State:

Date:.....

Name of District:

Address of hall:

It is certified that I have done mock poll on..... EVMs and I am fully satisfied with the functioning of EVMs.

| S.No. | Name of National/State Party | Name of representative of political party with party affiliation | Photo Identity document No. with date (provided by Person) | Signature of representative | Remarks, if |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |             |

### Annexure-6 (Mock Poll certification during First Level Checking of EVMs)

Date:.....

Name of State:

Name of District:

Address of hall:

It is certified that a printout of the result of mock poll has been taken out from ..... EVMs picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll and result in the print out.

| S.No. | Name of National/State Party | Name of representative of political party with party affiliation | Photo Identity document No. with date (provided by Person) | Signature of representative | Remarks, if any. |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |

## Annexure-7

### (Register for Sealing of Control Unit of EVMs using Pink Paper Seal)

Name of State:  
Name of District:  
Address of hall:  
Date:

It is certified that the sealing of the Control Units using Pink Paper Seals has been done in my presence. I have put my signature on the Pink Paper Seals after sealing of the Control Units and I am satisfied with the sealing of the Control Units.

| Sl.No. | Unique ID No. of Control Unit | SDMM No.<br>(In case of MPSV) | Pink Paper Seal Number |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|        |                               |                               |                        |
|        |                               |                               |                        |
|        |                               |                               |                        |

| S.No. | Name of National/State Party | Name of representative of political party with party affiliation | Photo Identity document No. with date (provided by Person) | Signature of representative |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

### Annexure-8 (Register during Commissioning of EVMs)

Name of State:  
Name of District:  
Address of hall:  
Date:

| S.No. | Name of National/State Party | Name of representative of political party with party affiliation | Photo Identity document No. with date (provided by Person) | Signature of representative | Remarks, if any. |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Name and signature of engineers of BEL/ECIL with ID No.)  
(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

### Annexure-9 (Mock Poll certification during Commissioning of EVMs)

Name of State:  
Name of District:  
Address of hall:

Date:.....

It is certified that I have done mock poll on..... EVMs and I am fully satisfied with the functioning of EVMs.

| S.No. | Name of National/State Party | Name of representative of political party with party affiliation | Photo Identity document No. with date (provided by Person) | Signature of representative | Remarks, if |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |             |

**Annexure-10**  
**(Mock Poll certification during Commissioning of EVMs)**

Date:.....

**Name of State:**

**Name of District:**

**Address of hall:**

It is certified that a printout of the result of mock poll has been taken out from ..... EVMs picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll and result in the print out.

| S.No. | Name of National/State Party | Name of representative of political party with party affiliation | Photo Identity document No. with date (provided by Person) | Signature of representative | Remarks, if any. |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |                  |

## Annexure-11

### (Register for Sealing of Ballot Unit using Pink Paper Seal during Commissioning of EVMs)

Name of State:  
Name of District:  
Address of hall:  
Date:

It is certified that the sealing of the Ballot Units using Pink Paper Seals has been done in my presence. I have put my signature on the Pink Paper Seals after sealing of the Ballot Units and I am satisfied with the sealing of the Ballot Units.

| Sl.No. | Unique ID No. of Ballot Unit | Pink Paper Seal Number |
|--------|------------------------------|------------------------|
|        |                              |                        |
|        |                              |                        |
|        |                              |                        |

| S.No. | Name of National/State Party | Name of representative of political party with party affiliation | Photo Identity document No. with date (provided by Person) | Signature of representative |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |
|       |                              |                                                                  |                                                            |                             |

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)